

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायवादी विरुद्ध अन्तिम अर्थात् अन्तिम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

गोपबन्धन विरुद्ध


क्र.सं.- 94/2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

तारीख हुकम

05.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर आज डिक्री होकर अन्तिम निस्तारण हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(दिलीप सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (जोमकाथाना)  
श्रीमाधोपुर (जोमकाथाना)